



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
प्लॉट नं० 1, सेक्टर के०पी०-4, ग्रेटर नौएडा,  
जिला गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र० ।

पत्रांक- सम्पत्ति/ओटीएस/2023/8035

दिनांक- 04 सितम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.08.2023 के मद संख्या 131/7 में बहुमंजिला फ्लैट्स योजनाओं के प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीज डीड विलम्ब शुल्क डिफाल्टर आबंटियों के लिए ओ०टी०एस० योजना (One Time Settlement Policy) निम्न शर्तों के साथ लागू की जाती है -

(1) एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया -

1. ओ०टी०एस० योजना, प्राधिकरण द्वारा आबंटन पद्धति से आबंटित बहुमंजिला फ्लैट्स योजनाओं के आबंटियों पर लागू होगी । अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह योजना लागू नहीं होगी ।
2. ओ०टी०एस० योजना बहुमंजिला फ्लैट्स योजना के उन प्रकरणों पर लागू होगी जिसमें प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष वर्तमान में सभी मदों में/एक मद में डिफाल्ट है । निर्धारित तिथि के पश्चात् भविष्य के लिए यह योजना लागू नहीं होगी ।
3. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत जिन आबंटियों द्वारा पूर्व की ओ०टी०एस० योजना में प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष लाभ प्राप्त किया जा चुका है तो उन्हें ओ०टी०एस० योजना का पुनः लाभ प्राप्त नहीं होगा अर्थात् उन मदों में जिसमें लाभ प्राप्त नहीं किया गया है उन मदों में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा ।
4. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत आबंटिगण दिनांक 31.12.2023 तक बहुमंजिला फ्लैट्स योजना के अन्तर्गत 150 वर्गमी० तक क्षेत्रफल पर रू० 2000/-, व 150 वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल पर रू. 5000.00 प्रोसेसिंग फीस (जिसका समायोजन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा) के साथ प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष कुल डिफाल्ट धनराशि का अनुमानित 50 प्रतिशत जमा कराते हुए आवेदन कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत देय छूट के अन्तिम समायोजन के उपरान्त देयता का भुगतान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में अंकित तिथि तक सम्बन्धित आबंटी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा ।
5. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व ई-मेल इत्यादि अंकित करना होगा ।
6. एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आबंटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेगी जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ०टी०एस० आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस व प्रारम्भिक 50 प्रतिशत धनराशि (अनुमानित) जमा करा दी जायेगी ।

7. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, प्राधिकरण के डिस्पैच काउण्टर व ऑनलाईन सर्विस (Allottee online service) के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तथा सम्पत्ति विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्टर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्टर में दर्ज करेगा।
8. ओटीएस योजना हेतु दिनांक 31.12.2023 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. योजना की नियम एवं शर्तें व आवेदन फार्म प्राधिकरण की वेबसाइट [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फार्म संलग्न है।

(2) एकमुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आबंटियों को दी जाने वाली छूट –

(क)–प्रीमियम डिफाल्टर के सापेक्ष छूट– प्रीमियम के सापेक्ष वर्तमान तक डिफाल्टर धनराशि पर साधारण ब्याज, जो कि सम्पत्ति के आबंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा, अर्थात् प्रीमियम के सापेक्ष डिफाल्ट धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज (Penal Interest) नहीं लिया जायेगा।

(ख)– अतिरिक्त प्रतिकर डिफाल्टर के सापेक्ष छूट – 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सापेक्ष आबंटियों से 30.06.2020 तक 9.5 प्रतिशत तत्पश्चात् 01.07.2020 से शासनादेश से यथासंशोधित 8.5 प्रतिशत की दर से अथवा समय-समय पर प्रचलित दर से, साधारण ब्याज लिया जायेगा अर्थात् 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की डिफाल्टर धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज (Penal Interest) नहीं लिया जायेगा।

(ग) लीजडीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष छूट– ओटीएस योजना के अन्तर्गत केवल उन आबंटियों को छूट प्रदान की जायेगी जिनके द्वारा बहुमंजिला प्लैट्स की लीज डीड निष्पादित नहीं कराई गई है उन प्रकरणों पर निम्नानुसार निम्नवत् छूट अनुमन्य होगी–

(ग-1) –

60 वर्गमी0 क्षेत्रफल तक के बहुमंजिला प्लैट्स के लिए	छूट का प्रतिशत
ओटीएस योजना लागू होने की तिथि से दिनांक 30.10.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 80% की छूट
दिनांक 31.10.2023 से 30.11.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 60% की छूट
दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 40% की छूट

(ग-2) —

60 वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल के बहुमंजिला फ्लैट्स के लिए	छूट का प्रतिशत
ओ०टी०एस० योजना लागू होने की तिथि से दिनांक 30.10.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 40% की छूट
दिनांक 31.10.2023 से 30.11.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 30% की छूट
दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 तक आवेदन करने पर	लीज डीड विलम्ब शुल्क में 20% की छूट

(घ) लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन के उपरान्त निर्धारित अवधि में बहुमंजिला फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त न करने में आरोपित अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) के सापेक्ष छूट —

जिन आबंटियों द्वारा अपने आबंटित बहुमंजिला फ्लैट का पट्टा प्रलेख निष्पादन करा लिया हो व किन्हीं कारणों से भवन का कब्जा निर्धारित अवधि में प्राप्त करने में असमर्थ रहे हों, ऐसे आबंटियों पर अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। परन्तु जिन आबंटियों द्वारा अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) जमा कराते हुए आबंटित बहुमंजिला फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो, उन प्रकरणों में जमा अर्थदण्ड (निगरानी शुल्क) वापस नहीं किया जायेगा।

(3) सम्पत्ति विभाग द्वारा ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण विषयक—

- ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सम्पत्ति विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।
- ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीज डीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यक प्रथम बार अनुमानित गणना कराकर आबंटी को सूचित किया जायेगा ताकि वे ओ०टी०एस० योजना में समय अन्तर्गत आवेदन कर सकें। यह गणना 50 प्रतिशत के आस-पास हो सकती है।
- सी०ए० से गणना उपरान्त वांछित धनराशि को प्राधिकरण द्वारा पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आबंटी को जमा कराये जाने की सूचना आबंटी द्वारा ओ०टी०एस० आवेदन पत्र में अंकित पत्राचार पते/ई-मेल/वॉट्सअप, जो भी उपलब्ध हो, के माध्यम से दी जायेगी।